संख्या-49/2018/725/26-3-2018

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांकः 17 मार्च, 2018

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 की योजनान्तर्गत 12-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में भोजन व्यवस्था हेतु ख्याति प्राप्त कैटरिंग व्यवसाय से जुड़ी संस्थाओं को इम्पैनल किये जाने के फलस्वरूप देयताओं के भुगतान हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-1623/स0क0/आ0प0वि0-प्रकोष्ठ-330यू0ओ0-इम्पैनल-भुगतान/17-18 दिनांक-28.02.2018 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या/प्रस्ताव के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के योजनान्तर्गत राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में भोजन व्यवस्था हेतु ख्याति प्राप्त कैटरिंग व्यवसाय से जुड़ी संस्थाओं को इम्पैनल किये जाने के फलस्वरूप देयताओं के भुगतान हेतु अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-2225-01-789-12-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय में रू0-4.38 लाख एवं 42-अन्य मद में रू0-16.75 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0-21.13 लाख (रू0 इक्कीस लाख तेरह हजार मात्र) की धनराशि अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-"2225-01-789-12-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-01-वेतन की बचत से पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1-उपर्युक्त धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार उ0प्र0, इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराये जायेगें।

2-उक्त धनराशि का व्यय योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा।

3-स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/बैंक खाता/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2018 तक व्यय हो सके।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4-जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग वर्ष 2017-18 में नही की जायेगी।

5-वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-03.08.2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6-स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिये स्वीकृति दी गयी है।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो के कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-12-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय-42-अन्य के नामे डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में उपलब्ध बचतों से पुर्नविनियोग कर वहन किया जायेगा।

संलग्नक-यथोक्त-बी0एम0-9

भवदीय,

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

संख्या49/2018/725(1)/26-3-2018 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- निदेशक, स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7- वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
8- निदेशक, एन0आई0सी0।
9- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण, उ0प्र0शासन।
10- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रपत्र-बी0एम0-9 (पार्ट-1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति
(सन्दर्भः बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

अनुदान संख्या व नाम :- 83 व अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना (समाज कल्याण विभाग) वित्तीय वर्ष 2017-2018 (धनराशि लाख रू0 में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन-पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संकमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संकमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संकमण के पश्चात् शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-12-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-					
01-वेतन-	801.88	21.13	21.13	21.13	780.75
योग	801.88	21.13	21.13	21.13	780.75

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संकमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा नुमोदित संकमण की धनराशि	संकमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-12-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-					
19-विज्ञापन बिकी और विख्यापन व्यय-	2.50	6.88	4.38	4.38	6.88
42-अन्य व्यय-	105.20	121.95	16.75	16.75	121.95
योग	107.70	128.83	21.13	21.13	128.83

1. स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:- स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीषकों में बचत वास्तविक आवश्यकता के अनुसार है।
2. स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणो से है:- योजना के कियान्वयन किये जाने के कारण ।
3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है ।

संख्या-आर0ई0-459 /दस-2018, दि0 16-3-18

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

(रवि शंकर मिश्र)
अनु सचिव
समाज कल्याण विभाग

(मनोज सिंह)
प्रमुख सचिव
समाज कल्याण विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या– 49/28/8/725 (1)/26–3–2018–दिनांक मार्च, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
3– निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4– कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5– वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (दो प्रतियों में)
7– बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन।
8– गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(रवि शंकर मिश्र)
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।